

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 370/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
2. श्रीमती गोपाली देवी पत्नि श्री लक्ष्मण सिंह
3. श्री विजय सिंह चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
4. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री हरबक्स सिंह

निवासी:- प्लॉट नम्बर 02, श्री राम विहार एफ, ग्राम छितरोली, बगरु, तहसील सांगानेर,
जिला जयपुर

5. श्री छोटूराम देवन्दा पुत्र श्री रामकरण चौधरी

निवासी:-शेरपुरा, पोस्ट महलां, तहसील फागी, बगरु, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश


दिनांक 14-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.06.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में (1) प्लॉट नम्बर 02, श्री राम विहार एफ, ग्राम छितरोली, बगरु, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 665.50 वर्गगज अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह के नाम पर है। (2) संपरिवर्तित आवासीय भूमि खसरा नं. 7307/4454, ग्राम दुदु, तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर अप्रार्थी श्रीमती गोपाली देवी पत्नि श्री लक्ष्मण सिंह के नाम पर स्थित सम्पत्ति को बन्धक रख कर 35,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.09.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्यायहित में अप्रार्थी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.09.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। जिसकी अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति रसीद की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की डिलीवर्ड/ट्रेकिंग रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक (1) प्लॉट नम्बर 02, श्री राम विहार एफ, ग्राम छितरोली, बगरु, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 665.50 वर्गगज अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह के नाम पर है। (2) संपरिवर्तित आवासीय भूमि खसरा नं. 7307/4454, ग्राम दुदु, तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर अप्रार्थी श्रीमती गोपाली देवी पत्नि श्री लक्ष्मण सिंह के नाम पर स्थित सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
7. आदेश आज दिनांक 14-11-2018 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
 (कलेक्टर) जयपुर